Development of Rural Markets in Gujarat

1327 SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the number of rural markets in Gujarat developed under the scheme "Development of Rural Markets" and what was the central assistance provided to Gujarat under this scheme;

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to discontinue the scheme during the Eighth Five Year Plan; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) An amount of Rs. 394.33 lakhs of central assistance has been granted to the Government of Gujarat for development of 125 markets. Of these 87 are rural markets.

(b) and (c) The Scheme stands transferred to State Sector as per the decision of the National Development Council.

———

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता

1328 **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिला-वार, कार्यक्रम-वार तथा वर्ष-वार कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने कार्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत सुविधाओं का पता लगाने के लिए कोई निगरानी अभिकरण स्थापित किया है ताकि राज्यों द्वारा धन का समुचित उपभोग सुनिश्चित किया जा सके; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है और इसको समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किए बिना इसे जारी रखने का औचित्य क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश का विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत जिला-वार, कार्यक्रम-वार तथा वर्ष-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 26) जहां तक त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम का संबंध है, मिनी मिशन से संबंधित सूचना जिला-वार है जबकि राज्य के लिए वर्ष 1989-90 से लेकर 1992-93 तक की त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम से संबंधित सूचना अनुपत्र–2 में दी गई है। (देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 27)

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती है। बुनियादी स्तर पर खण्ड स्तर के कर्मचारियों को कार्यक्रमों की आयोजना कार्यान्वयन तथा निगरानी कार्यों में शामिल किया जाता है। जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें आवधिक रिपोर्टों की मार्फत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं तथा जिला अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनु-